

पु. व. (कॉ.व.)

२९/८/२५

पत्रावली पेश हुई। वकील वादी
उपस्थित। वकील वादी ने विज्ञाप
प्राथना पत्र पेश किया है। चूंकि
वकील वादी वाद चलाना नहीं
चाहते हैं लिहाजा प्रकरण जरिये
विज्ञाप प्राथना पत्र खारिज किया
जाता है। पत्रावली फंसल शुमार
होकर नंबर से कम हो।



सहायक कलक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली